

FORM - 37

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भवन योजना का अनुमोदन/अनुमति (500 वर्ग मीटर तक)

PHOTO OF
APPLICANT

उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी,
जोन-
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

महोदय,

सविनय प्रार्थी द्वारा धारित भूखण्ड की भवन योजना का अनुमोदन/अनुमति (500 वर्ग मीटर तक) की सूचना निम्नानुसार है :-

<u>आवेदक का विवरण :</u>		
आधार नं.		
जनआधार नं.		
आवेदक का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
आवेदक के पिता/पति का नाम	(हिन्दी में)	-----
	(In English)	-----
वर्तमान पता	----- -----	
मोबाईल नं.		
ईमेल आईडी		
<u>भूखण्ड का विवरण (भवन योजना का अनुमोदन/अनुमति) :-</u>		
सर्विस नम्बर/ प्रोपर्टी आई.डी.		
विकासकर्ता का प्रकार	☐ जयपुर विकास प्राधिकरण ☐ निजी खातेदार ☐ सहकारी समिति ☐ खातेदारी भूमि ☐ अन्य	
विकासकर्ता का नाम		
योजना का नाम		

भूखण्ड संख्या				
जविप्रा द्वारा जारी पट्टे में अंकित विवरण :				
भू-स्वामी / पट्टाधारक का नाम				
पट्टा जारी क्रमांक व दिनांक				
पट्टा रजिस्टर्ड होने का दिनांक				
स्वामित्व अन्तरण का आधार एवं क्रम :				
क्रम	दस्तावेज का नाम	दिनांक	विक्रेता का नाम	क्रेता का नाम
1.				
2.				
3.				
क्या भूखण्ड के संबंध में किसी भी न्यायालय / मंच / अधिकरण / आयोग / अन्यत्र कोई वाद विचाराधीन है?	☐ नहीं ☐ हां (यदि हां, तो विवरण)	न्यायालय / मंच / अधिकरण / आयोग का नाम.....		
		सीएनआर संख्या		
		वाद संख्या.....		
		उनवान.....		
		वाद का विषय		

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 में अपेक्षित निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए निवेदन है कि मानचित्र का अनुमोदन कर अनुज्ञा / स्वीकृत पत्र जारी करने का श्रम करे.-

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूखण्ड का स्थल मानचित्र (साइट प्लान)	
2	भूखण्ड का स्वामित्व दस्तावेज लीजडीड, लाइसेंस डीड, आवंटन पत्र (यदि आवेदक स्वयं लीज धारक हो या लीज डीड, पंजीकृत विक्रय, अभिलेख एवं भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण प्रमाण पत्र। यदि आवेदक के किसी अन्य लीज धारक से भूखण्ड खरीद रखा है।)	
3	प्रस्तावित भवन मानचित्रों के सैट की पांच प्रतियां जिनमें दो क्लोथ माऊन्टेड	
4	बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट के उस भाग को जिसे वाहनों की पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण में आवश्यक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र	
5	भूखण्ड के सामने सड़क को चौड़ा करने का उद्देश्य से सड़क के साथ भूखण्ड में से भू-पट्टी समर्पित की जाने के सम्बन्ध में सरन्डर डीड तथा कब्जा संभलवाये जाने का प्रमाण पत्र।	
6	यदि आवंटन शर्तों / पट्टा शर्तों में से किसी शर्त के विपरीत मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	
7	यदि प्रार्थी प्रस्तावित भवन को मास्टर प्लान में स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत भवन निर्माण करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	
8	बहुमंजिले भवनों के मामलों में चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	

9	पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के मामलों में चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव एवं चीफ फायर ऑफिसर का सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	
10	यदि प्रस्तावित भवन में तहखाना पड़ोसी के भूखण्ड की सीमा के 2 मीटर की दूरी से कम पर बनाया जाता है, तो पड़ोसी व प्राधिकरण के हित में इन्डेमिनिटी-बॉण्ड।	
11	सांगानेर हवाई अड्डे की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी तक प्रस्तावित भवन की ऊँचाई के सम्बन्ध में नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	
12	प्रस्तावित भवन के वास्तुविद द्वारा 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र इस आशय का कि भवन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं का मानक इन विनियमों एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार है।	
13	यदि भूखण्ड पर कोई वाद चल रहा है तो वाद सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी व वर्तमान स्थिति की पूर्ण सूचना।	
14	अन्य:-	

☐ मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न/अपलोड की गई है। इनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल, भिन्नता या कूटरचना नहीं है। इनकी सत्यता के लिए मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज उपरोक्तानुसार भवन योजना की अनुमोदन/स्वीकृति (500 वर्ग मीटर तक) से सम्बन्धी आदेश शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करें।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....